26–12–22	अभिभाषक प्रार्थी व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 5 उपस्थित। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि उक्त अपील श्रीमान के न्यायालय में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 07–06–2022 की पालना में प्रतिप्रेषित होकर आई जिसमें 30–06–2022 तारीख पेशी मुकर्र थी। दिनांक 30–06–2022 को न्यायालय में पुछताछ करने पर प्रार्थी को बताया गया कि उपरोक्त अनुवान की कोई अपील अभी तक इस न्यायालय में नही आयी है। ऐसी स्थिति में माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के आदेशों के अनुसरण में प्रार्थी नियत दिनांक को उपस्थित आया था, व कालान्तर न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की विधिवत तामील प्रार्थी पर नहीं होने के कारण प्रार्थी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आ सका। प्रार्थी अभिभाषक ने आगे निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय दिनांक 07–06–2022 के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट	

याचिका दायर की जा चुकी है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01–09–2022 को स्थगन आदेश जारी किया जा चुका है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में प्रार्थी का रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल पत्रावली को पुनः नम्बर पर लेने के आदेश प्रदान करावें।

अप्रार्थी अभिभाषक श्री राजैश बैद ने जवाब प्रार्थना –पत्र पेश कर, दौरान–ए–बहस न्यायालय में बताया कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे बताये गये समस्त तथ्य मिथ्या एवं मनघडन्त है। प्रार्थी को उक्त अनुवानी अपील में पूर्व में न्यायालय मातहत द्वारा नोटिस साधारण व रजिर्स्टड दिये जा चुके है बाद नोटिस तामिल भी प्रार्थी की और से प्रार्थी स्वयं या अभिभाषक उपस्थित नही आये। इन परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा प्रकरण को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया। अप्रार्थी अभिभाषक ने निवेदन किया की प्राथीगण का उदेश्य प्रकरण में अनावश्यक पेचिदगियां पैदा कर रेस्पोडेन्ट को अनावश्यक तंग व परेशान करना तथा प्रकरण को अनावश्यक रूप से लम्बित रखना ही है। ऐसी परिस्थितियों में रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थीगण को भारी आर्थिक व मानसिक आघात पहूंचा है। न्यायालय द्वारा ऐसे पक्षकारान को कानून के लचीले पल का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। अतः उक्त प्रार्थना–पत्र बाबत रेस्टोरेशन खारिज फरमाया जावे।

हमने प्रार्थी एवं अप्रार्थी अभिभाषक की बहस एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र पर मनन एवं अवलोकन किया। प्रकरण में चूंकि माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के आदेश दिनांक 07–06–2022 के विरूद्व माननीय उच्च न्यायायल द्वारा स्थगन प्रसारित किया जा चुका है तथा विधि की भी यह मंशा रही है कि किसी भी पक्षकार को उचित सुनवाई, पक्ष व सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना कोई आदेश पारित नही किया जाना चाहिए। अतः प्रार्थी का रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। मूल पत्रावली को पुनः नम्बर पर लिया जावे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर